हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

उत्तराखंड तकनीकी विवि की विद्या परिषद की बैठक में फैसला, पहले

बीसीए के लिए अब 12वीं में गणित अनिवार्य नहीं

45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

- एक साल बाद पाठ्यक्रम छोड़नेपर ले सकेंगे एक वर्षीय सर्टिफिकेट

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि (यूटीयू) में अब बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए की डिग्री के लिए 12वीं में गणित विषय अनिवार्य नहीं होगा। शुक्रवार को यूटीयू की विद्या परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही, इस कोर्स के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन दाखिले भी शुरू कर दिए गए।

कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने बताया कि यूटीयू ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करने की पात्रता निर्धारित की है। हालांकि, इसके लिए दसवीं में गणित की पढ़ाई जरूरी है। इस कोर्स में दाखिले के बाद प्रथम सेमेस्टर में गणित का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई छात्र एक साल बाद पाठ्यक्रम छोड़ना चाहेगा तो उसे एकवर्षीय सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन, इस एक वर्ष के सर्टिफिकेट के लिए छात्र को न्यूनतम 45 क्रेडिट पूरे करने होंगे।

विधि के कोर्स में शामिल होंगे नए कानून

कुलपति के अनुसार, यह भी निर्णय हुआ कि भारत में हाल ही में प्रभावी नए आपराधिक कानूनों को देखते हुए विधि से जुड़े कोर्स में इन कानूनों को शामिल करके नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम में पहले से चल रहे मुख्य विषयों के संचालन में कठिनाइयों को देखते हुए इनके स्थान पर बोर्ड ऑफ स्टडीज से नया पाठ्यक्रम बनाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अनुरोध पर डिप्लोमा इन एडवेंचर टूरिज्म के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के पाठ्यक्रम को भी मंजूरी दी गई।

02 वर्षीय डिप्लोमा के लिए भी मिल गई है मंजूरी